(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख बातें क्या हैं और इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए भागीदार/लाभग्राही देशों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना का कोई संभावित सर्वेक्षण किया गया है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) से (ग). संभवतः माननीय सदस्य का आशय उस एशिया राजमार्ग योजना से है जो इस क्षेत्र में विभिन्न देशों में स्थित मौजूदा सड़कों के द्वारा इन देशों के आपस में मिला देने के बारे में एशिया और सुदूर पूर्व देशों के लिए आयोग ('इकाफे' जिसे अब 'एस्काप' कहते हैं) द्वारा कुछ समय पहले प्रस्तावित की गई थी। इस योजना में यह विधान किया गया था कि संबंधित देश इस योजना के अंतर्गत आने वाली सड़कों को अपने-अपने यहां राष्ट्रीय योजना के अंग के रूप में विकसित करेंगे जिससे इन्हें आपस में जोड़ा जा सके। इस योजना के अंतर्गत आने वाली जो भी सड़कें भारत में हैं, आमतौर पर सभी राजमार्ग हैं। इसलिए इस संबंध में संभावना संबंधी किसी प्रकार के सर्वेक्षण करने का प्रश्न नहीं होता।

Training of Hindi Stenography in I.T.Is.

6255. SHRI KESHORAO PARDHI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether, in all the Industrial Training Institutes being run under the Delhi Administration, arrangements for teaching of Hindi Stenography do not exist;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether adequate number of trainees are not available in this regard; and

(d) the percentage of marks prescribed for admission to the Hindi stenography training and the number of candidates admitted to the course annually?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJIAH): (a) Yes, Sir. Arrangements for training in Hindi Stenography exist in three out of the ten industrial Training Institutes under the Delhi Administration.

(b) Training facilities in Hindi Stenography have been provided keeping in view the requirements of the Employment market which is limited mostly to Government, Semi-Government and Autonomous bodies.

(c) Adequate number of trainees are available for this trade.

(d) The minimum percentage prescribed for admission is 40 per cent marks in Hindi in Matriculation examination or 10th pass of 10 plus 2 pattern. The total number of seats in the trade in the three Industrial Training Institutes are 96 and trainees are admitted once a year.

Railway Canteen Employees

6256. SHRI BASUDEV ACHARYA: Will the Minister for RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of Supreme Court decision in regard to the employees of Railway Canteen; and

(b) if so, the steps which Government propose to take in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Arguments in Civil Appeal No. 368 of 1978 filed by South Eastern Railway in Supreme Court against the judgement of Calcutta High Court holding that the staff of the statutory canteen appointed by the Canteen Committee are to be deemed as Railway employees have commenced and the case is part-heard and has not been deided. On April 2, 1980 an order was passed by the Court in the aforesaid appeal proposing the Constitution of a railway catering service. The reference is perhaps to this order of the Supreme Court.

(b) The proposal made by the Supreme Court in the order dated April 2, 1980 is engaging the attention of this Ministry.

ऊपरि पुलों का निर्माण

6257. **श्री सत्यनारायण जाटिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरों में से होकर गुजरने वाली रेल लाइनों द्वारा प्रभावित होने वाले यातायात में सुधार करने के लिये 'ऊपरि पुलों' का निर्माण करने की नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) अजमेर खंडवा मीटर लाइन के उन शहरों के नाम क्या हैं जहां ऊपरि पुल बनाये गये हैं/बनाये जा रहे हैं और बनाये जायेंगे तथा इनमें से प्रत्येक शहर में ऐसे कितने पुल होंगे;

(ग) बम्बई-दिल्ली बरास्ता रतलाम बड़ी लाइन पर नागदा मंडी और नागदा स्थित बिडलाग्राम औद्योगिक नगर के बीच यातायात के लिये 'ऊपरि पुल' के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अनुसार किसी रेलवे लाइन के निर्माण के समय या उसके बाद 10 वर्ष के भीतर ऊपरि/निचले सड़क पुल और समपार जैसे अपेक्षित समायोजन कार्य रेलों द्वारा अपने खर्च पर किये जाते हैं। उसके बाद यदि कोई नया ऊपरि/निचला सडक पुल बनाना पड़ता है (किसी वर्तमान समपार के बदले में नहीं) तो उसकी पूरी लागत राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वहन की जानी अपेक्षित है।

व्यस्त समपारों पर दुर्घटनाओं से बचने और सड़क/रेल यातायात को रुकने न देने के लिए रेलों की नीति यह है कि वर्तमान समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार और राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण की हिस्सेदारी के आधार पर निर्माण किया जाए। इस प्रकार की परियोजनाओं का रेलों और राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वयन किया जाता है और अपने हिस्से की लागत वहन करने के आश्वासन के साथ इस तरह के कार्यों के प्रस्ताव भी राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजित किये जाने अपेक्षित हैं।

(ख) इन्दौर में दो पुलों का निर्माण किया गया था। कोई नया पुल नहीं बनाया जा रहा है और इस लाइन के किसी स्थान पर ऊपरि सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) 35.00 लाख रुपये।

Employment to persons who have become overage

6258. SHRI GHULAM RASOOL KOCHACK: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that registration in the Employment Exchanges has been on increase for the last two years;

(b) if so, whether inspite of number of projects undertaken by the State Governments, the vast majority of the unemployed youth is still out of job;

(c) whether this has resulted unrest among the large number of youths;

(d) whether the Central Government have taken any initiative to help those who have become overage and are ineligible to get Government employment; and

(e) if so, whether Government propose to remove this class of age and when the final decision is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJIAH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The number of job-seekers (all of whom are not necessarily unemployed) on the Live Register of Employment Exchanges as on 31st May,